न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांकः 06.02.2026

मुकदमा नम्बर 85/2023
ऑनलाईन नम्बर 2023/233
दुर्गाराम पुत्र कुंभाराम जाति जाट निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

बनाम

1. किसनाराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी लोडेरां तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. हरिराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़

—अप्रार्थीगण—

1. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री मोहनलाल सोनी अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 972/471 तादादी 2.0200 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है तथा प्रार्थी के पिता कुम्भाराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के नाम से खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 973/471 तादादी 2.0200 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चूकी है व उपरोक्त कृषि भूमि प्रार्थी के हिस्से—पांति में आई है तथा प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है जिसमें फसल बोई हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार के सदस्यों की कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 655 तादादी 8.1800 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 दिनांक 09.06.2023 को व दिनांक 10.06.2023 को अपने साथ अपने पुत्रो को लेकर धारदार व घातक हथियारों से लेस होकर प्रार्थी के खेत में आया तथा प्रार्थी की चारदीवारी को तोड़ने की कोशिश करने लगे तथा प्रार्थी को धमकी देने लगा की हम तेरे खेत से होते हुये रास्ता निकालेंगे ओर हमे रोकने की कोशिश की तो जान से मारे बिना नहीं छोड़ेगें। प्रार्थी ने पुलिस थाना शेरूणा में अप्रार्थी संख्या 2 व अन्य के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 काफी बदमाश व झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जिनका कानून में कतई विश्वास नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 हमेशा धमकियां देते रहते है कि हम जबरदस्ती रास्ता निकालकर रहेगें। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दिनांक 13.06.2023 को आये तथा धमकीयां दी कि चूपचाप रास्ता निकालने देना और पुलिस में शिकायत तो जान से मारे बिना नहीं छोडेगें। खेत खसरा नंबर 655 रोही बींझासर में आने—जाने का रास्ता कभी भी प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 972/471 व 973/471 रोही ग्राम बींझासर से होकर नहीं रहा है तथा न ही कभी आवागमन रहा है केवल जबरदस्ती प्रार्थी के खेत में रास्ता कायम करने में आमादा है जिससे प्रार्थी के काश्तकारी अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडे ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:36:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

विकल्प नहीं हैं। प्रार्थी वादगत खेत का खातेदार काबिज कृषक है व वादगत खेत पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण ने वादगत खेत में रास्ता कायम करने की धमकी दी है। अगर अप्रार्थीगण अपने उक्त गलत मनसूबो में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी व अगर अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल करने में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को बहुत अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त व सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण दौराने दावा प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 972/471 व 973/471 रोही ग्राम बींझासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थी के उपयोग–उपभोग व कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा या व्यवधान उत्पन्न न करे, ना करावें तथा न ही किसी प्रकार का रास्ता कायम करे, करावें ।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिटस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई।

विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अप्राथीगण संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादी के पिता कुंभाराम का देहान्त हो चुका है। कुंभाराम जी की मृत्यू के बाद खेत खसरा नम्बर 973/471 किसके हिस्से पांती में आया जानकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का कोई खेत खसरा नम्बर 655 नही है। सही तथ्य यह है कि खसरा नम्बर 655 प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त खातेदारी का खेत है। वादी ने गलत व मनगढ़त तथ्य अंकित कराये है। मुझ प्रतिवादी हीराराम के खेत खसरा नम्बर 655 में आने जाने का शुरू से ही खसरा नम्बर 973/471 में से होकर रहा है। वादी इस प्रचलित रास्ता को इस दावा के माध्यम से बंद कर देना चाहता है, मौका पर कोई चार दिवारी वादी की है ही नही। हम प्रतिवादीगण कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति है । वादी ने गलत तथ्य अंकित किये है। वादी इस प्रार्थना पत्र की आड में हमारा सदियो से चला आ रहा है प्रचलित रास्ता बंद कर देना चाहता है। खेत खसरा नम्बर 655 में आने जाने का कोई रास्ता शुरू से ही सडक खसरा नम्बर 528 से पूर्वी तरफ फंटकर गोचर भूमि खसरा नम्बर 529 में से होता हुआ खेत खसरा नम्बर 974/471 व खेत खसरा नम्बर 973/471 में से रहा है। इस दावा की आड में वादी इस रास्ता को बंद कर देना चाहता है। वादी का दावा व प्रार्थना पत्र दुर्भावना पर आधारित है । प्रार्थी अभी वादगत खेत खसरा नम्बर 973/471 का राजस्व रिकार्ड में खातेदार नही हुआ है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दुर्भावना पर आधारित है इस प्रार्थना पत्र की आड में प्रार्थी प्रचलित रास्ता को बंद देना चाहत है अगर प्रार्थी ऐसा करने में सफल हो गया तो हम अप्रार्थीगण को असुविधा व अपुर्तिक क्षति होगी। वादी को इस प्रार्थना पत्र की आड में मुझ प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 655 रोही बींझासर में शुरू से ही बना रहा रास्ता को बंद करने व

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:36:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

बाधित करने का कोई अधिकार नही है । मुझ प्रतिवादी संख्या 2 के खेत में आने जाने वाले रास्ता को बंद करने के आशय से यह दावा तथ्यो को छिपाते हुए प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र खारिज होने के योग्य है । खेत खसरा नम्बर 655 के लिए चल रहे रास्ता के संबंध में धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही वादी व अन्ये के विरूद्ध कर रखी है। इसलिए भी यह प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। वादी ने गलत तथ्यो पर व विधमान रास्ता के तथ्यो को छुपाते हुए जो यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र सदभावना पर आधारित नही है। वादी Clean Hand से न्यायालय के समक्ष नही आया है। प्रार्थी स्वंय Wrong Door (गलत कार्य करने वाला) व्यक्ति है। वादी ने मुझ प्रतिवादी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 655 में आने जाने वाले रास्ता को बाधित कर रखा है। ऐसी स्थिति में वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है । वादी का प्रार्थना पत्र पक्षकारो के कुसंयोजन व असंयोजन की दृष्टि से भी खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 का गलत व तंग परेशान के आशय से पक्षकार बनाया गया है । प्रतिवादी संख्या 1 का इस विवाद से कोई ताल्लुक व संबंध नही है। ऐसी स्थिति में भी प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष का निर्धारण मूलवाद में किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। तहसीलदार न्यायालय श्रीडूंगरगढ एवं अन्य किसी भी न्यायालय में में खेत खसरा नंबर 655, खेत खसरा नम्बर 974/471 व खेत खसरा नम्बर 973/471 वाकेरोही बींझासर के संबंध में यदि कोई विद्यिक कार्यवाही जैरकार है तो इस अस्थाई निषेधाज्ञा का उक्त कार्यवाही एवं उसके क्रियान्वन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आदेश आज दिनांक 06.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:36:30 IST
Reason: SelfAttested